कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग
तुलसी नगर भोपाल, (म. प्र.), 462003

दूरभाष 2552646, 2552878, 2552406, email- encwrbpl@mp.nic.in

पत्र क्र. 4214 / 35 / 2020

प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/10/2020

(1) मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक
.... कछार / परियोजना / पी. एम. यू.
जल संसाधन विभाग, ... मध्यप्रदेश ।
(2) अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल .... ।
(3) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग .... ।

विषय:- जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं / माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं इत्यादि के विद्युत यांत्रिक कार्यों के संबंध मे ।

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्र. 333/4/एम. एल. आई. एस. / 1248 / 2020, भोपाल, दिनांक 23.07.2020 ।

कार्यों के निरीक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मे मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के अधीन विभिन्न कछारों मे एम.एल.आई.एस. एवं बांध परियोजनाएं टर्न की पद्धति के आधार पर निर्माणाधीन हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न विद्युत यांत्रिकी कार्य विद्युत यांत्रिकी के अधिकारियों से परामर्श किए बिना एवं उनके निरीक्षण के बिना संपादित किए जा रहे हैं, ऐसा किया जाना आपत्तिजनक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात सिंचाई कार्य के दौरान उक्त संयंत्रों के मरम्मत, रखरखाव एवं सुधार कार्य विद्युत यांत्रिकी संरचना द्वारा ही किया जाता हैं । इसी संबंध मे संदर्भित कार्यालयीन पत्र से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

पुन: यह निर्देशित किया जाता है की आपके कछार के अंतर्गत निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित परियोजना / एम.एल.आई.एस. के समस्त विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों (जैसे जल-द्वारों का फैब्रिकेशन एवं स्थापना का कार्य, विद्युत उपकेंद्रों एवं एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. विद्युत लाइनों के निर्माण एवं डिस्मेंटलिंग, बाह्य एवं आंतरिक विद्युतीकरण, प्रकाश व्यवस्था, सोलर सिस्टम से संबंधित समस्त कार्य, डी.जी. सेट्स, लिफ्ट, विभिन्न मोटर-पंप्स,विद्युत कंट्रोल पैनल, स्टार्टर्स, पाइप लाइन एवं वाल्व इत्यादि के कमिशिंग, इन्स्टालेशन एवं टेस्टिंग का कार्य) का सुपरविजन, क्वालिटी एस्योरेंस एवं मापों का अभिलेखन एवं सत्यापन माप पुस्तिका में सहायक यंत्री (वि./यां) / कार्यपालन यंत्री (वि./यां) के माध्यम से ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ये अधिकारी ही कार्य के त्रुटि रहित पूर्णता के लिये पूर्णता जिम्मेदार होंगे । यदि भविष्य मे किसी योजना पर विद्युत यांत्रिकी के सहायक यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री के बिना उक्त कार्यों का किया जाना पाया जाता है तो संबंधित कार्यपालन यंत्री (सिविल) ऐसी अनियमितता के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जाएँगे ।

27.10.20
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

पृ. क्र. 4214/35 / 2020
प्रतिलिपि,

भोपाल, दिनांक 27/10/2020

वेब मैनेजर जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाने हेतु प्रेषित ।

27.10.20
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

D/New AO 4212 vividh.docx